न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 52/2021 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2021/167

उनवान

1. हरीखॉ पुत्र स्व0 पप्पल जाति मेव निवासी ग्राम लडडूका तहसील कॉमा जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. बसकर पत्नी स्व0 श्री हारून जाति मेव निवासी ग्राम लडडूका तहसील कॉमा जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, कामॉ दिनांक 01.04.2021 उनवानी बसकर बनाम हरीखॉ मु0न0 28/20

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दीपक शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री प्रेम सिंह सैनी उपस्थित

निर्णय दिनांक :– 25.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कॉमा के आदेश दिनांक 01.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने मूल दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम बिलोंद व लडडूका तहसील कॉमा में स्थित है, जो पूर्व में प्रार्थी रैस्पो0 के ससुर पप्पल की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी थी। प्रार्थी रैस्पो0 के ससुर के मरने के बाद विवादित आराजी प्रार्थी रैस्पो0 के पति हारून व अप्रार्थी अपीलाण्ट हरीखॉ व प्रार्थी रैस्पो0 की सास असीनी वहैसियत वारिस बराबर संयुक्त रूप से आयी। प्रार्थी रैस्पो0 के पति के मरने के बाद विवादित आराजी प्रार्थी रैस्पो0 मात्र एक वारिस होने के कारण उनके हिस्से में आयी। इसके बाद सास के मरने के बाद विवादित आराजी प्रार्थी रैस्पो0 एवं अप्रार्थी अपीलाण्ट के हिस्से में आयी। यह है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी रैस्पो0 के नाम उनके पंति व सास के मरने के बाद दाखिला खारिज खोल देना चाहिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

था। परन्तु उनके द्वारा ऐसा ना करते हुये विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में उनके पति हारून का नाम दर्ज होता चला आ रहा है। अतः अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु एवं साथ में प्रार्थना पत्र 212 प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आद्रेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि रैस्पो0 स्वयं को हारून की पत्नि बताती है। जबकि उसका हारून से तलाक हो चुका था एवं उसने दूसरा विवाह खान मौहम्मद से कर लिया। नौ बच्चे भी हैं। हारून की सन् 2007 में मृत्यु हो चुकी है एवं वह सन् 2007 तक अकेला ही रहा। उनकी मृत्यु उपरान्त पूरी आराजी हरीखॉ के नाम आ गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड प्रस्तुत हुये हैं। उनमें रैस्पो0 खान मोहम्मद की पत्नी दर्शायी है। इसके अलावा उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट के तीनो महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर कोई विवेचना नहीं की गयी है। रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। जिससे स्पष्ट हो कि वह हारून की पत्नि हो। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने ज़वाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी रैस्पो0 के ससुर पप्पल की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी। पप्पल की मृत्यु के बाद असीनी, हारून और हरीखॉ वहैसियत वारिस बराबर–बराबर संयुक्त रूप से विवादित आराजी पर काश्त करते चले आ रहे हैं। हारून का देहान्त होने के बाद हारून की एक मात्र वारिस रैस्पो0 अपने पति हारून के हिस्से पर वहैसियत वारिस के रूप में खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त करती चली आ रही है। उसके बाद असीनी का देहान्त हो गया। असीनी के देहान्त के बाद अपीलाण्ट व रैस्पो0 दोनों संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं एवं मौके पर आज भी रैस्पो0 का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यो की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट ने प्रस्तुत अपील में इस तथ्य पर बल दिया है कि रैस्पो0 हारून की पत्नी हो ऐसा उन्होंने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि अपीलाण्ट स्वयं अपने जवाब दावा की चरण संख्या 12 में हारून का निकाह सन् 1985 में रैस्पो0 के साथ होना स्वीकारते हैं। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0 हारून की पत्नि है या नहीं। उक्त तथ्य विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त मूल वाद में तय होगें। फिलहाल प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति रैस्पो0 के पक्ष में बखूबी साबित होती है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवदेन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट रैस्पो0 का हारून से तलाक होने एवं तलाक बाद दूसरा विवाह करना कथन करते हैं। रैस्पो0 इसका खण्डन करते हुये कथन करते हैं कि उनका तलाक नहीं हुआ था। उनके द्वारा अपने पति की मृत्यु बाद दूसरा विवाह किया है एवं पुर्नविवाह पश्चात् अपने पूर्व पति की सम्पत्ति में हको पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। हमने गौर किया। प्रार्थी रैस्पो0 द्वारा अपने पति के नाम दर्ज विवादित भूमि में हको की घोषणा का दावा किया है। प्रार्थी रैस्पो0 द्वारा दूसरा विवाह करने के कारण विवादित भूमि पर प्रार्थी रैस्पो0 के हको का बिन्दु विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त मूल वाद में तय होगा। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज उनके भाई की मृत्यु दिनांक 25.05.2007 के पश्चात् के हैं। अतः अपीलाण्ट को उक्त दस्तावेजात से कोई लाभ नहीं पहुँचता है। अपीलाण्ट स्वयं रैस्पो0 को अपने भाई की पत्नी मानता है। अपीलाण्ट की अन्य आपत्तियॉ मूल दावे में तय होगीं। फिलहाल प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर रैस्पो0 के पक्ष में अधिक पुष्ट होती हैं। लिहाजा हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप योग्य गुॅजाईश शेष नहीं पाते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कॉमा का निर्णय दिनांक 01.04.2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 25.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर